न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 99/2022 बउनवानी राजरानी यादव बनाम लो.सू.अधि.एवं उपजिला कले./तहसीलदार खण्डार पत्नि डॉ0 भूपन्द्र सिंह यादव, 34, अल्कापुरी जयपुर अति0जिला कले. सवाईमाधोपुर

GCMS No-2022/172

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
14.10.2022	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित। लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार की ओर से पैरोकार राजस्व उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 27.7.2022 को लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार के कार्यालय में अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गया:– 1. तहसीलदार खण्डार का पत्रांक रीडर/20/592 दिनाक 20.3.2020 जो उपजिला कलेक्टर को प्रेषित मय संलग्नक मौका रिपोर्ट पटवारी दौलतपुरा श्री मूल सिंह शेखावत की दोनो की प्रमाणित प्रति मय संलग्नक की प्र0प्रति। 2. यह है कि अजीत सिंह राजपूत नि0 दौलतपुरा तह0 खण्डार द्वारा जिला रिकार्ड रूम मे प्रार्थना पत्र बाबत मिसल संख्या 25/82 रामसिंह पुत्र नित्यानन्द अहीर नि0 दौलतपुरा की आवंटन पत्रावली की नकल बाबत प्रस्तुत प्रा0 पत्र संख्या 179 दिनांक 29.1.2018 की मय आवेदक की प्रति रिपोर्ट की प्र0प्रति। 3. यह है कि उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक राजस्व/विविध/2020/650 दिनांक 27.5.2020 मय संलग्नक जो आबकारी विभाग को जारी शुद्वा की प्र0प्रति मय इस पत्रांक के क्रम में प्राप्त जवाब एवं कार्यवाही रिपोर्ट की प्र0प्रति। 4. यह है कि कि ग्राम दौलतपुरा तहसील खण्डार के मूल ख0न0 544 रकबा 87.12 बीघा जो वर्तमान में 15 खसरो मे 15 मिन नक्शो 820/544, 823/544 ,853/544 मे विभक्ति की वर्तमान जमाबन्दी मय खातेदारी की प्र0प्रति ख0न0 2078 की प्र0प्रति व वि.स. 2079 की प्र0प्रति। 5. यह है कि जिला कलेक्टर स0मा0 के कार्यालय पत्रांक न्याय/2011/9927 दिनांक 26.11.2014 सा0नि0वि0 मय एक्सईएन के पत्रांक 6406 दिनांक 19.11. 2014 एवं पत्रांक प.12/विविध/राजस्व/12/6349 दिनांक 30.11.2017 एवं प. 01(8)10/शिका/स्था0/2020/4904 दिनांक 15.9.2020 तथा जिला कलेक्टर का पत्रांक प.14/18/रि0/भू.अ./पीडब्ल्यूडी/15/8326 दिनांक 15.12.2015 एवं उक्त भूमि ख0न0 544/1 रकबा 16बीघा के संबंध में जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर द्वारा अवार्ड अनुमोदन पत्रांक 27.11.2015 बाबत सेवती धर्मपुरी लिंक रोड की प्र0प्रति। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा 19(1) के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर/उपजिला कलेक्टर/तहसीलदार खण्डार को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षों की सुनवायी तलबी जरिये नोटिस की गयी। नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित नही हुआ। दौराने सुनवायी पैरोकार राजस्व ने कथन किया कि लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर के जवाब नोटिस क्रमांक/एफ.2(195)सूकाअ/2022/1128 दिनांक 30.9.2022 से अवगत

Signature Not Verified
Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:36:16 IST
Reason: SelfAttested

कराया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 27.5.2022 के बिन्दु संख्या 5 की सूचना कार्यालय हाजा के विभिन्न अनुभागो (न्याय/राजस्व/संस्थापन/भू.अभिलेख अनुभाग) से संबंधित थी जो संबंधित विभागों से संकलित की जाकर कुल 12 पृष्ठों की सूचना के लिए नियमानुसार प्रतिलिपि शुल्क 24/–रू जमा करवाकर वांछित सूचना प्राप्त करने बाबत अपीलान्ट को जरिये पत्रांक एफ.2 /सूकाअ/2022/ 916 दिनांक 26.8.2022 से लिखा गया था किन्तु डिस्पेज अनुभाग द्वारा उक्त पत्र अपीलान्ट को समय पर नही भिजवाये जाने के कारण पुनः पत्रांक 1118 दिनांक 28.9.2022 के साथ उक्त 12 पृष्ठों की सूचना अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 3 की सूचना उपजिला कलेक्टर खण्डार के पत्रांक/सूकाअ/()2022/1254 दिनांक 16.9.2022 से अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है। तथा बिन्दु संख्या 1 की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक प.2(18)/सूकाअ/रीडर/2022/566 दिनांक 2.9.2022 से अपीलान्ट को कुल 4 पृष्ठो की सूचना अपीलान्ट को भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 4 की सूचना तहसीलदार खण्डार के पत्रांक भू.अ./2022/3451 दिनांक 9.9.2022 से कुल 3 पृष्ठो की अपीलान्ट भिजवायी जा चुकी है। बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में अपीलान्ट को तत्समय वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है ।इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 27.7.2022 को प्रेषित प्रार्थना पत्र के बिन्दु संख्या 1,3,4 मे चाही गयी सूचना, क्रमश तहसीलदार खण्डार, उपजिला कलेक्टर खण्डार एवं बिन्दु संख्या 5 की सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर द्वारा संबंधित अनुभागों से संकलित कर अपीलान्ट को निःशुल्क भिजवायी जा चुकी है तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना के संबंध में अपीलान्ट को वस्तुस्थिति से अवगत कराया जा चुका है। इस प्रकार चाही गयी सूचनाऐ अपीलान्ट को उपलब्ध करवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(सुरेश कुमार ओला)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suresh Kumar Ola
Date: 2023.03.17 17:36:16 IST
Reason: SelfAttested